राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :—प 32(बी)(1)आब/एल/2018—19/2703 दिनांक :— 22.03.2018

पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकान/दुकान समूह के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018—19 हेतु राज्य के निम्नांकित जिलों में देशी मदिरा समूह/दुकान के अनुज्ञापत्र हेतु चतुर्थ चरण में भी आवेदन प्राप्त नही होने से इन पडत देशी मदिरा समूह/दुकान की निर्धारित/संशोधित वार्षिक राशि एवं कम्पोजिट फीस में निम्नानुसार प्रतिशत कमी की जाकर वर्ष 2018—19 के लिये निर्धारित प्रारूप में **आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित** किये जाते है :—

क्र. स.	नाम जिला	कुल पडत समूह	कमी का प्रतिशत		निर्धारित/संशोधित कम्पोजिट फीस में कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रतिशत कमी के समूह का विवरण
			निर्धारित/संशोधित EPA में	निर्धारित/संशोधित कम्पोजिट फीस में	
1	2	3	4	5	6
1	सवाईमाधोपुर	04	10	15	1. Bhadoti
2	चित्तौडगढ	02	10	0	-
3	जयपुर ग्रामीण	01	10	0	-
4	हनुमानगढ	12	10	0	-
5	नागौर	02	10	10	1. Dikosi
6	पाली	06	10	10	1. Sendara
7	बीकानेर	05	10	10	1. Udai Ramsar; 2. Runiay Barawas
8	जयपर शहर	02	10	10	1. Dhankya + Mundiya ramsar; 2. Durjaniyawas
9	सीकर	07	10	10	1. Godiya Bara; 2. Tapiplya; 3. Baori Kasarda
10	जोधपुर	10	10	10	1. Jetiwas
11	श्रीगंगानगर	35	10	10	1. Ladhuwala; 2. 20 BB (A); 3. 23 BB Baira; 4. 4 DD (Delwan)
12	अजमेर	52	10	10	1. Agara; 2. Molkiya
13	डूंगरपुर	02	10	20	1. Virapur; 2. Saroda
14	उदयपुर	01	0	20	1. Daiyya
15	चूरू	01	0	0	

2 पडत रही इन देशी मदिरा समूह/दुकान की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

3 **समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in द्वारा स्वीकार किये जाऐगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा—निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।**

4 **आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई—मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते है।**

5 **एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नही किये जायेगें।** यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानो/दुकान समूहो हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकाने/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो।

6 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** पर उपलब्ध है।

7 **ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in पर दिनांक 23.03.2018 से 25.03.2018 को रात्रि 12.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिक समाप्त हो जायेगा।**

8 **जिस दुकान/दुकानों समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकान समूह की निर्धारित वार्षिक राशि की 1 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजन की जा सकेगी।**

9 आवेदक द्वारा एक जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली समूह की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। इस प्रकार एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग–अलग समूह के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।

10 अलग–अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाले समूह की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) के अनुसार आवेदन मान्य होगा।

11 जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक समूह के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित समूह के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

12 **आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 रसीद के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।**

13 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक को आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

14 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी को दिनांक **26.03.2018 को 6 पीएम,** तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**

16 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 27.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे** जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।

17 देशी मदिरा समूहों (डूगरपुर जिले को छोडकर) हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2018–19 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16000
वर्ष 2018–19 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21000

18 देशी मदिरा समूहों डूंगरपुर जिले के लिये हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2018–19 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	7000
वर्ष 2018–19 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	11000

19 जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

20 आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2018–19 (दिनांक 1–4–2018 से दिनांक 31–3–2019) के लिये होगी।

21 आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर